

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 392/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 11.10.2026

थाना सिधारी पर पंजीकृत मुकदमे में वांछित अभियुक्त के विरुद्ध धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत नोटिस चस्पा कर कराई गई मुनादी।

□ थाना सिधारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 267/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस में वांछित अभियुक्त अभिषेक राजभर के विरुद्ध माननीय न्यायालय से जारी धारा 84 बीएनएसएस के प्रासेस का नियमानुसार तामीला कराया गया।

□ पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के घर एवं ग्राम खुरहट के सार्वजनिक स्थानों पर गवाहों की उपस्थिति में नोटिस चस्पा कर नियमानुसार मुनादी की कार्यवाही कराई गई।

घटना/कार्यवाही का विवरण:-

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 267/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस की विवेचना व0उ0नि0 यशवन्त सिंह द्वारा की जा रही है। उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त अभिषेक राजभर पुत्र हरेन्द्र राजभर, निवासी ग्राम खुरहट, थाना रानीपुर, जनपद मऊ, उम्र करीब 22 वर्ष के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत जारी प्रासेस का दिनांक 10.10.2026 को नियमानुसार तामीला कराया गया।

निरीक्षक शिव कुमार यादव, व0उ0नि0 यशवन्त सिंह एवं का0 शाहिल खान द्वारा गवाहों की उपस्थिति में अभियुक्त के घर तथा ग्राम खुरहट के सार्वजनिक एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर नोटिस चस्पा किया गया। साथ ही, नियमानुसार मुनादी की कार्यवाही भी कराई गई।

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर पुलिस के प्रयासों से मदरसे से लापता 02 बालक सूरत से सकुशल वापस आए, परिजनों ने आजमगढ़ पुलिस का सहृदय धन्यवाद व्यक्त किया।

□ मदरसा जामिया इस्लामिया कुरियावां से लापता 08 वर्षीय मो0 साहिल एवं 16 वर्षीय निजामुद्दीन उर्फ राजिक सूरत से सकुशल वापस आए।

□ दोनों बालकों के सकुशल वापस आने पर परिजनों ने आजमगढ़ पुलिस के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सहृदय धन्यवाद दिया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 04.10.2026 को थाना सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत मदरसा जामिया इस्लामिया कुरियावां से मो0 साहिल उम्र करीब 08 वर्ष एवं निजामुद्दीन उर्फ राजिक उम्र करीब 16 वर्ष लापता हो गए थे। इस संबंध में दिनांक 05.10.2026 को थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 249/2026 धारा 137(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

□ दिनांक 10.10.2026 को दोनों बालकों के परिजन उन्हें सूरत से सकुशल थाना सरायमीर लेकर आए। पूछताछ में प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों बालक अन्य लड़कों के साथ घूमने के लिए निकले थे तथा ट्रेन से सूरत चले गए थे। दोनों बालकों के सकुशल वापस आने पर परिजनों ने आजमगढ़ पुलिस के प्रति सहृदय धन्यवाद व्यक्त किया। प्रकरण में उ0नि0 बनारसी यादव द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

साइबर सेल, जनपद आजमगढ़

साइबर सेल आजमगढ़ की त्वरित कार्रवाई से महिला बीएलओ को साइबर ठगी के ₹81,000/- वापस कराए गए।

□ निर्वाचन आयोग का अधिकारी बनकर साइबर ठग ने महिला बीएलओ को ऑनलाइन मीटिंग के नाम पर भेजा संदिग्ध लिंक, स्क्रीन शेयर कराकर यूपीआई के माध्यम से की ₹81,000/- की ठगी।

□ साइबर सेल आजमगढ़ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता की ठगी गई शत-प्रतिशत धनराशि ₹81,000/- उनके बैंक खाते में वापस कराई।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम श्री पंकज श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में साइबर सेल आजमगढ़ द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला बीएलओ की साइबर ठगी में गई ₹81,000/- की संपूर्ण धनराशि वापस कराई गई।

पीड़िता श्रीमती सुमन राजभर पत्नी श्री विजय शंकर, निवासी ग्राम मसोना, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, वर्तमान में बीएलओ के पद पर कार्यरत हैं। निर्वाचन संबंधी कार्य के दौरान उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को निर्वाचन आयोग का वरिष्ठ अधिकारी बताकर ऑनलाइन मीटिंग के बहाने उनके व्हाट्सएप पर एक संदिग्ध लिंक भेजा। लिंक खोलने के बाद पीड़िता का स्क्रीन शेयर कराकर पेटीएम वॉलेट के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कराई गई, जिसके बाद उनके बैंक खाते से यूपीआई के माध्यम से ₹81,000/- स्थानांतरित कर साइबर ठगी कर ली गई।

साइबर सेल की कार्रवाई:-

ठगी का एहसास होने पर पीड़िता ने साइबर सेल आजमगढ़ में शिकायत दर्ज कराई। साइबर सेल की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित पेमेंट गेटवे/बैंक से समन्वय स्थापित कर ठगी की धनराशि होल्ड/फ्रीज कराई। इसके उपरांत आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूर्ण कराकर पीड़िता की संपूर्ण धनराशि ₹81,000/- उनके मूल बैंक खाते में वापस कराई गई। धनराशि वापस मिलने पर पीड़िता ने आजमगढ़ पुलिस एवं साइबर सेल के प्रति आभार व्यक्त किया।

सराहनीय कार्य करने वाली टीम:-

1. उ०नि० रवि प्रकाश गौतम, प्रभारी साइबर सेल, आजमगढ़।
2. मु०आ० ओमप्रकाश जायसवाल, साइबर सेल, आजमगढ़।
3. आ० अमित कुमार सरोज, साइबर सेल, आजमगढ़।
4. आ० जयप्रकाश प्रजापति, साइबर सेल, आजमगढ़।

साइबर सुरक्षा अपील:-

जनपदवासियों एवं सरकारी कर्मचारियों से अपील है कि अनजान व्यक्तियों द्वारा भेजे गए संदिग्ध लिंक न खोलें और किसी के कहने पर मोबाइल का स्क्रीन शेयर न करें। सरकारी अधिकारी के नाम पर आने वाली संदिग्ध कॉल से सतर्क रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।